

## बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन सं.-06/2020 परिवहन विभाग, बिहार के अन्तर्गत मोटरयान निरीक्षक के रिक्त 90 (नब्बे) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रदर्शित है।

1. इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है :-

क्र. सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित वर्ग	26	09
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	06	02
3.	अनुसूचित जाति	20	04
4.	अनुसूचित जनजाति	02	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	22	05
6.	पिछड़ा वर्ग	10	02
7.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	04	N/A
कुल		90	22

(ख)

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य सरकार के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेशान स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या	01
----	---	----

नोट:- मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-08.01.2020 को हुई बैठक में परिवहन विभाग के अन्तर्गत मोटरयान निरीक्षक के 90 पदों पर सीधी नियुक्ति के संबंध में दिव्यांगजनों के लिए कर्णांकित 04 पदों के बदले परिवहन विभाग में सृजित लिपिक के 04 पद उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई है।

2. वेतनमान:- पुनरीक्षित-लेवल-6

3. शैक्षणिक योग्यता: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम);

या

यात्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम); और (ii) गियर वाली मोटर साइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञापति (ड्राइविंग लाइसेंस) का धारण करना।

नोट:-1-प्रशिक्षु चालन अनुज्ञापति (लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस) मान्य नहीं होगा।

नोट:-2-शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-09.08.2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

4. उम्र सीमा - दिनांक- 01.08.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला- 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक-01.08.2005 से 01.08.2019 तक उपर्युक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं, भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक- 2374, दिनांक- 18.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अर्हता बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 06.03.1990 के आलोक में, मृतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

मृतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

5. चयन प्रक्रिया:-

पार्ट-I - लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर।

लिखित परीक्षा-लिखित परीक्षा लिए तीन पत्र यथा प्रथम पत्र-सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र-ऑटोमोबाईल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण (अभ्यर्थी किसी एक विषय का चयन करेंगे) एवं तृतीय पत्र-मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम।

क्र० सं०	विषय	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि	परीक्षा की प्रकृति	पाठ्यक्रम
1.	प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन	100	200 घंटा	वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय	अंक गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान, पंचवर्षीय योजनाएँ, स्वतंत्रता आंदोलन एवं सामयिक विषय यथा वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/ भाषा/ पुस्तक/ लिपि/राजधानी/मुद्रा/ खेल-खिलाड़ी/ महत्वपूर्ण घटनाएँ आदि से संबंधित प्रश्न।
2.	द्वितीय पत्र-ऑटोमोबाईल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण (अभ्यर्थी किसी एक विषय का चयन करेंगे)	100	200 घंटा	वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय	इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम वही होगा, जो बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा क्रमशः ऑटोमोबाईल अभियंत्रण डिप्लोमा अथवा यांत्रिक अभियंत्रण डिप्लोमा हेतु निर्धारित है।
3.	तृतीय पत्र-मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम	100	200 घंटा	वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय	बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय वाहन नियमावली, 1989

नोट:-1- उपर्युक्त पत्रों में प्रथम एवं तृतीय पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होंगे, जबकि द्वितीय पत्र में अभ्यर्थी ऑटोमोबाईल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक विषय का चयन करेंगे।

नोट:-2- गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जायेगा।

साक्षात्कार- लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा, जिसमें उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक दोनों की परीक्षा और परिवहन विभाग में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जायेगा।

साक्षात्कार के लिए वैसे ही उम्मीदवार बुलाये जाएंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में कम से कम निम्न रूप में अंक प्राप्त किए हों जैसा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-18.07.2007 में प्राक्धानित है- अनारक्षित-40 (चालीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग- 38.5(साठे छत्तीस) प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग- 34(चौतीस) प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा विकलांग के लिए- 32 (बत्तीस) प्रतिशत।

साक्षात्कार में मेधा अंकों का विभाजन, बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2008 की धारा-3 के अनुसार निम्न प्रकार किया जायेगा:-

(क)	प्रवेशिका या समकक्ष योग्यता	:-	प्राप्तांक के प्रतिशत का 10 प्रतिशत अंक
(ख)	तकनीकी योग्यता	:-	डिप्लोमा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत अंक
(ग)	अनुभव	:-	न्यूनतम अर्हक अवधि के पश्चात् अतिरिक्त प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर 3 अंक, अधिकतम 9 अंक
(घ)	ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग या पोस्ट डिप्लोमा में विशिष्टता	:-	08 अंक
(ङ)	साक्षात्कार	:-	25 अंक

इस प्रकार अंतिम मेधा सूची कुल पूर्णांक 450 में से अन्यर्था को प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

(a) लिखित परीक्षा-300 अंक

(b) नियमावली की धारा-3 के अनुसार साक्षात्कार में अंकों का विभाजन-125 (मेधा अंक) + 25 अंक (साक्षात्कार)

नोट:-लिखित परीक्षा में सफल अन्यर्थाओं को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा अंतिम मेधा सूची से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा।

**पार्ट-II**-बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2008 में किये गये प्रावधान के अनुसार रिक्ति एवं सुयोग्य अन्यर्थाओं की संख्या (आवेदन की स्क्रूटनी के पश्चात्) का अनुपात 1:10 से कम होने की स्थिति में मात्र साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा।

साक्षात्कार में मेधा अंकों का विभाजन निम्न प्रकार किया जायेगा:-

- (क) प्रवेशिका या समकक्ष :- प्राप्तांक के प्रतिशत का 10 प्रतिशत अंक योग्यता
- (ख) तकनीकी योग्यता :- डिप्लोमा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत अंक न्यूनतम अर्धक अधिक के पश्चात् अतिरिक्त प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर 3 अंक, अधिकतम 9 अंक
- (ग) अनुभव :-
- (घ) ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या पोस्ट डिप्लोमा में विशिष्टता :- 06 अंक
- (ङ) साक्षात्कार :- 25 अंक

इस प्रकार **पार्ट-II** के लिए अंतिम मेधा सूची कुल पूर्णांक 150 में से अन्यर्था को प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा

नोट-1-संस्थान/विश्वविद्यालय आदि से CGPA/OGP/CPI इत्यादी का प्रतिशत में बदलने का फार्मूला अन्यर्था संलग्न करेंगे अन्यथा AICTE फार्मूला के आधार पर प्रतिशत में बदल दिया जायेगा।

नोट-2-अनुभव प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-09.06.2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

नोट-3-अनुभव प्रमाण-पत्र नियंत्री पदाधिकारी अथवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

नोट-4- अनुभव प्रमाण-पत्र में अन्यर्था का वेतन अंकित होना चाहिए एवं जिस खाता में वेतन भुगतान होता है उसका बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोट-5- अन्यर्था अपना नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।

#### 6. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अन्यर्था को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-
- (a) जाति प्रमाण-पत्र
- (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की नुति होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
- आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित कोटि
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC
5.	अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक-15.02.2018 के आलोक में महिलाओं को कडिका-1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुरूप नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को कडिका-1(ख) में वर्णित रिक्ति के अनुरूप नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अन्यर्थाओं के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कडिका-1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुरूप नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- नोट:- (1) ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अन्यर्थाओं से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संचारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
- नोट:- (2) साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अन्यर्थाओं को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र मूल में (Original copy) सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
- मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
  - विज्ञापन की कडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र।
  - विज्ञापन की कडिका-4 के अनुरूप उच्च सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
  - पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)
  - पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)
  - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-28.02.2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
  - स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अन्यर्थाओं के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)
  - केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो साक्षात्कार में भाग

लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

11. विज्ञापन की कडिका-5 के अनुरूप अनुभव प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)
  - (क) अनुभव प्रमाण-पत्र नियंत्री पदाधिकारी अथवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।
  - (ख) अनुभव प्रमाण-पत्र में अम्बर्थी का वेतन अंकित होना चाहिए एवं जिस खाता में वेतन भुगतान होता है उसका बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  - (ग) अम्बर्थी अपना नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।
12. विज्ञापन की कडिका-5 के अनुरूप तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)
13. CGPA/OGP/CPI इत्यादी का प्रतिशत में बदलने का फार्मूला।
14. पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

7. बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग नियमावली, 2003 की कडिका-8 में किये गये प्रावधानानुसार अम्बर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और किन्हीं ऐसे शारीरिक अपंगता या अनुवांशिक दोषों से मुक्त होना चाहिए, जिनसे उनके कर्तव्यों की दक्षता पूर्वक निर्वहन करने में बाधक होने की संभावना हो।

#### 8. शुल्क :-

- (i) सामान्य अम्बर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रूपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रूपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रूपये
- (iv) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रूपये

अम्बर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अम्बर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और मविध्य में वैसे अम्बर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अम्बर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अम्बर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वच्छता से परीक्षा शुल्क सामान्य अम्बर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अम्बर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अम्बर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

#### 9. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	11.05.2020 से 28.05.2020 तक
2.	ऑनलाईन के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि	01.06.2020 तक
3.	ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	09.06.2020 तक
4.	आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि	29.06.2020 के अपराह्न 05:00 बजे तक

**नोट-1:** जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।

**नोट-2:** जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अम्बर्थी दिनांक- 01.06.2020 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।

- (ii) ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अम्बर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अम्बर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अम्बार्थेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- (iii) उम्मीदवार डेश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
- (v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अम्बर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vi) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अम्बर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अम्बर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अम्बर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (x) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xi) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डेश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अम्बर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
- (xii) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाईन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

#### 10. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डेशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक-29.06.2020 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (वैली रोड), पटना- 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित

**प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करेंगे:-**

- (a) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के लिए);
  - (b) विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण-पत्र;
  - (c) विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक-पत्र;
  - (d) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र।
  - (e) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
  - (f) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।  
आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।
  - (g) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र;
  - (h) आयु में छूट का दावा करने की स्थिति में अभ्यर्थी तत्संबंधी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे।
  - (i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
  - (j) विज्ञापन की कंडिका-5 (पार्ट-II) (ग) एवं (घ) के अनुरूप अनुभव प्रमाण-पत्र।
  - (k) CGPA/OGP/CPI इत्यादी का प्रतिशत में बदलने का फार्मूला।
  - (l) अनुभव प्रमाण-पत्र नियंत्री पदाधिकारी अथवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।
  - (m) अनुभव प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी का वेतन अंकित होना चाहिए एवं जिस खाता में वेतन भुगतान होता है उसका बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  - (n) अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।  
आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।  
ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
- (ii) यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण-पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से मरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश-पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।
11. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
  12. इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।
  13. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
  14. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।